

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/10/66

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 31/12/25

अप्रार्थीगण

1 अली खां पुत्र मियल खां  
जाति मुसलमान निवासी  
आदर्श चुली तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 हुसेन पुत्र जादम वगैराह जाति  
मुसलमान निवासी आदर्श चुली  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 10/2025

दिनांक-23/12/2025

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श चुली पटवार क्षेत्र चुली तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 118 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 175/119 रकबा 6.1917 हैक्टेयर व खसरा  
संख्या 271/119 रकबा 2.4848 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक  
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक-31/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/10/67-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपरिस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अली खां पुत्र मियल खां जाति मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दुर्गाराम हुसेन पुत्र जादम वगैराह जाति मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व  
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर